



दिल्ली विकास प्राधिकरण
नीति एवं समन्वय (कार्मिक)

मिसिल सं० एफ.4(6)2017/नी.ए.स.(का०)/पार्ट/184

दिनांक: 07/10/2021

कार्यालय आदेश

कार्मिक विभाग के सभी शाखाधिकारियों व कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है कि राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 में दिए गये दिशानिर्देशों का पूर्णतया पालन सुनिश्चित किया जाए। इन नियमों के अनुसार, क्योंकि दि०वि०प्रा० के सभी कार्यालय दिल्ली राज्य में स्थित हैं, जो कि कथित नियमानुसार क्षेत्र 'क' की श्रेणी में आता है, इस श्रेणी में आने वाले क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के साथ संवाद हिंदीभाषी ही होना चाहिए। क्षेत्र 'ख' एवं क्षेत्र 'ग' की श्रेणी में आने वाले क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के साथ संवाद हिंदी या अंग्रेजी, किसी भी भाषा में हो सकता है। हालांकि, इन नियमों के नियम 5 के अनुसार हिंदी भाषा में प्राप्त पत्र आदि के उत्तर हिंदी भाषा में ही दिए जाना अनिवार्य है।

2. उपरोक्त के अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हिंदी भाषा में जारी किये जाने वाले पत्र, परिपत्र, आदेश आदि के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत टिप्पणी भी हिंदी भाषा में ही लिखी जाए।

3. उक्त दिशानिर्देशों के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी तरह के पत्राचार के शीर्षक में कार्यालय का नाम, पता आदि तथा अंत में हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पदनाम जैसी जानकारी द्विभाषी रूप में अथवा सिर्फ हिंदी भाषा में अनिवार्य रूप से दी जाए।

(विनीत जैन)

आयुक्त (कार्मिक)

निदेशक (कार्मिक) - 1 व 2

सभी उप निदेशक (कार्मिक)

प्रतिलिपि:

1. प्रधान आयुक्त (कार्मिक) के निजी सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।